

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 230/2023

अनवान : -

1. मुकेश पुत्र सदीराम जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर।

- सायल

बनाम्

1. रमेश कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर।
2. शिव नारायण पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय खुईया तहसील नोहर।

- गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :- 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता सायल
2. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय

दिनांक: 24/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 178/178 की कुल 97.8970 प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल व गैरसायल का खाता मुश्तरका है सायल ने अपने हक हिस्सा की भूमि समतल व उपजाऊ बना रखा है तथा सायल ने परिश्रम व मेहनत करके उक्त वाद भूमि को समतल बनाया है। सायल के हक हिस्सा की भूमि अच्छी किस्म की होने के कारण गैरसायलान से सींव लगान व काश्त आदि का झगडा रहता है। इसलिए सायल अपना खाता व लगान गैरसायलान से अलग अलग दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

सायल व गैरसायलान का खाता मुश्तरका है तथा की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी क्रेता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए सायल गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। मौजा रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 178/178 की कुल 97.8970 हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि की

यथास्थिति बनाये रखे।। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि मुश्तरका है एवं मुश्तरका खाता की भूमि पर प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा माना जाता है सायल अपने सहकाश्तकारों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नहीं ले सकेंगे हमें अपूर्णाय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखा है। प्रार्थी की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी क्रेता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज है। दावा खाता विभाजन का है अप्रार्थीगण द्वारा किसी विशेष हिस्से का बेचान नहीं किया जा रहा है केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का बेचना किया जा रहा है, कोई भी खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का रहन, बैय करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावों के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्णाय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 178/178 की कुल 97. 8970 प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णाय क्षति नहीं होगी लेकिन

विशेष हिस्से का बेचना करने से प्रार्थी को भी अपूर्ण्य क्षति होने की सम्भावना है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में बनता है। जब प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-78 के खाता स0 178/178 की कुल 97.8970 हैक्ट भूमि के अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 ताफैसला दावा विशेष हिस्से का बेचान करने से निषिद्ध रहे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/06/16 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ae
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर